

उप
३१

प्राथमिक व इसके अधिकार आरक्षण करें।
वर्ष-२ के लिए नगरे करें। (यदि उपलब्ध करें।
प्राथमिक व इसके अधिकार का अनुपालन
में प्रथम व द्वितीय लक्ष्य व अक्षय क्षेत्रों में
स्वास्थ्य विद्या नगर है। प्रथम व द्वितीय लक्ष्य
क्षेत्रों में व अन्य क्षेत्रों में। (यदि वर्ष २०१०-११
वर्ष है।

उपस्थंड अधिकारी
कोटकासिम (अ.नं.५)